



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16062025-263888
CG-DL-E-16062025-263888

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2573]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 13, 2025/ज्येष्ठ 23, 1947

No. 2573]

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 13, 2025/JYAISHTHA 23, 1947

रेल मंत्रालय

[उत्तर रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जून, 2025

का.आ. 2637(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा जाता है) की धारा 20क के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि लोक प्रयोजन के लिए, ऐसी भूमि का, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी जिले के काशी में प्रस्तावित “काशी रेलवे स्टेशन के निर्माण” हेतु अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने में अपने आशय की घोषणा करती है;

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा;

ऐसा प्रत्येक आक्षेप, सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, वाराणसी, उत्तर प्रदेश को लिखित में किया जाएगा और उसमें उसके आधार उपवर्णित किए जायेंगे तथा सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई करने तथा ऐसी और जाँच, यदि कोई हो, करने के पश्चात्, जो सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा, आक्षेपों को या तो अनुज्ञात या अननुज्ञात कर सकेगा;

उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (1) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अन्तिम होगा;

इस अधिसूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांक और अन्य ब्यौरे उपलब्ध है और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा उनका सक्षम प्राधिकारी के पूर्वोक्त कार्यालय में निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची						
उत्तर प्रदेश राज्य के वाराणसी में प्रस्तावित काशी रेलवे स्टेशन के निर्माण हेतु प्रभावित होने वाली अर्जनाधीन भूमि की संरचना सहित या संरचना रहित संक्षिप्त विवरण						
क्रम सं०	जिले का नाम	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा नम्बर	सम्पूर्ण / आंशिक	प्रभावित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6	7
1	वाराणसी	सदर	(1) पलंग शहीद	26	आंशिक	0.0920
				27	आंशिक	0.0592
				28	सम्पूर्ण	0.2100
				29	आंशिक	0.2435
				योग		0.6047
			(2) भदऊ	112	आंशिक	0.0200
				113	आंशिक	0.0984
				101	आंशिक	0.0112
				121	आंशिक	0.1312
				122	आंशिक	0.0225
				123	सम्पूर्ण	0.0040
				योग		0.2873
			(3) कज्जाकपुर	329	आंशिक	0.0160
				346	आंशिक	0.0240
				379	आंशिक	0.0028
				380	सम्पूर्ण	0.0450
				381	आंशिक	0.1020
				382	आंशिक	0.2473
				योग		0.4371
			(4) अमरपुर	72	आंशिक	0.0020
				73	आंशिक	0.0338
				77	आंशिक	0.0163
				79	आंशिक	0.0816
				123	आंशिक	0.0463
				योग		0.1800
				कुल योग		1.5091

[फा. सं. 190—W/Land/Kashi/BSB-I]

श्याम सिंह, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/निर्माण-II

MINISTRY OF RAILWAYS

[Northern Railways (Construction Organization)]

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th June, 2025

S.O.. 2637(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989), (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which has been given in the Schedule annexed hereto, is required for construction of proposed "**Kashi Railway Station**" in **District-Varanasi** in the State of Uttar Pradesh, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 20D of the said Act.

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, Special Land Acquisition officer, Varanasi, Uttar Pradesh in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of section 20D of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE						
Brief Description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the proposed construction of Kashi Railway Station in District-Varanasi in the State of Uttar Pradesh						
Sl No.	Name of District	Name of Tehsil	Name of Village	Plot No.	Affected Plot (Full/Part)	Affected Area (Hectare)
1	2	3	4	5	6	7
1	Varanasi	Sadar	(1) Palang Shaheed	26	Part	0.0920
				27	Part	0.0592
				28	Full	0.2100
				29	Part	0.2435
				Total		0.6047
			(2) Bhadau	112	Part	0.0200
				113	Part	0.0984
				101	Part	0.0112
				121	Part	0.1312
				122	Part	0.0225
				123	Full	0.0040
				Total		0.2873
			(3) Kazzakpur	329	Part	0.0160
				346	Part	0.0240
				379	Part	0.0028
				380	Full	0.0450
				381	Part	0.1020

				382	Part	0.2473
				Total		0.4371
			(4) Amarpur	72	Part	0.0020
				73	Part	0.0338
				77	Part	0.0163
				79	Part	0.0816
				123	Part	0.0463
				Total		0.1800
				Grand Total		1.5091

[F. No. 190-W/Land/Kashi/BSB-I]

SHYAM SINGH, Chief Administrative Officer/Construction-II